



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2021/डी- 2503

दिनांक:- 8-7-2021

श्री अक्षयकुमार पुत्र हरिनारायण,
ओमप्रकाश पुत्र सत्यनारायण वगैरह
जरिये मु.आम श्री छोटीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण,
पूरण पुत्र श्री चन्दा, श्री प्रभूनारायण पुत्र मंगलचन्द,
श्री बाबूलाल पुत्र काना, श्री रामजीलाल पुत्र फुलचन्द,
निवासी ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा, तहसील सांगानेर,
जयपुर।

विषय:-ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1116/1246, 1125/1245, 1126 पर सृजित निजी खातेदारी की आवासीय योजना 'केमला नगर' का रैरा रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1116/1246, 1125/1245, 1126 पर सृजित निजी खातेदारी की आवासीय योजना 'केमला नगर' का अनुमोदित मानचित्र संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। अतः उक्त योजना का रैरा मे रजिस्ट्रेशन कराकर प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत करें ताकि उक्त योजना का नियमन शिविर आयोजित किया जा सकें।

संलग्न:-मानचित्र।

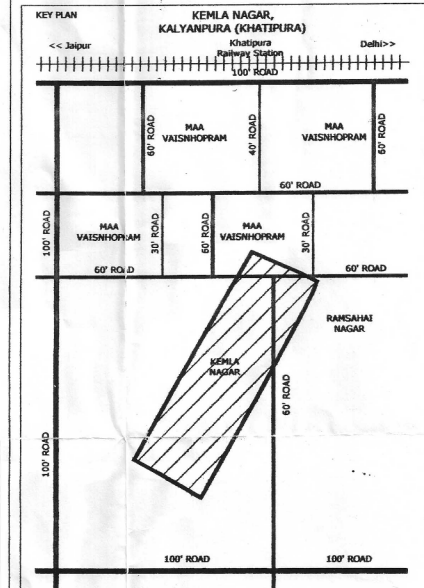

उपायुक्त एवं (विजेन्द्र कुमार मीश्रा)
उपायुक्त जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा मर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष:-(+91-141)-मम्बधित कार्यालय) : पीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : मम्बधित

LAYOUT PLAN OF " KEMLA NAGAR"
Khasra No.1126, 1125/1245,1116/1246,
VILLAGE KALYANPURA, TEHSIL SANGANER, JAIPUR

N
W E
S
SCALE : 1CM= 5 MTR.

913
B
5.7.20



S.NO.	LAND USE	AREA	%
1.	RESIDENTIAL PLOT	8523.51 SQMT.	56.08%
2.	RETAILS	325.61 SQMT.	2.14%
3.	PARK	760.30 SQMT.	5.00%
4.	SWM/TOWER	60.27 SQMT.	0.40%
5.	ROAD	5530.31 SQMT.	36.38%
6.	TOTAL AREA	15200.00 SQMT.	100.00%

NAME OF SOCIETY: NIJI KHATEDAR

NAME OF SCHEME: KEMLA NAGAR

ZONE NO. (09) SECTOR NO.

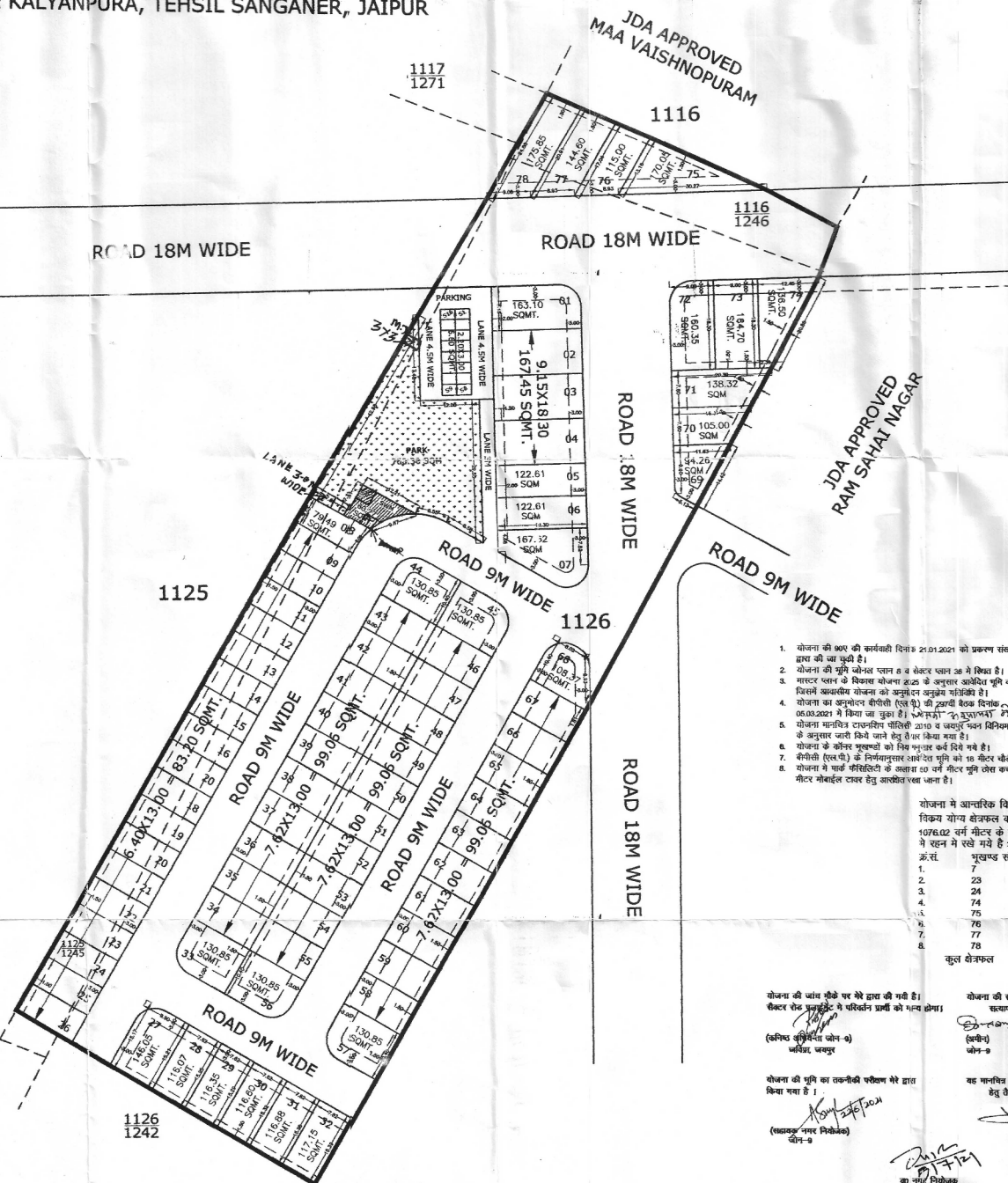
SCALE: 1CM= 5 MTR. DRG. NO.

JAIPUR DEVELOPEMENT AUTHORITY, JAIPUR.

PLANNER: CADMAX Design Services



C-49, B-3, VIDHYA APARTMENTS,
PARAS MARG, BAPUNAGAR, JAIPUR
PH: 0141-4036515 email - info@cadmaxds.com



- योजना की 90% की कार्यवाही दिनांक 21.01.2021 को प्रकल्प संख्या LU/2012/JDA/2020-21/100903 के द्वारा की जा चुकी है।
- योजना की भूमि योजना प्लान 0 व सेक्टर प्लान 30 में दिखा है।
- भारत सरकार के अधिनियम 1976 के अनुसार जमीन का नू-उपयोग (आवसीय) है।
- योजना का अनुमोदन बीपीसी (एल 9) की धारा 11 के तहत किया गया है।
- योजना का अनुमोदन जमीन अधिनियम 2010 के अनुसार किया गया है।
- योजना के कोरर भूखण्डों को नियंत्रित करने वाले नियम हैं।
- बीपीसी (एल 9) के निर्माणानुसार आवंटित भूमि को 10 मीटर चौड़ी सड़क से पहुंच मार्ग उपलब्ध है।
- योजना में प्लॉट नंबर 1125/1245 के अलावा 10 वर्ग मीटर भूमि लेस करार प्रकल्प व 10.00 वर्ग मीटर रोडवेज लेस करार करार किया गया है।

योजना में आंतरिक विकास कार्य के पेटे कुल विकस्य योग्य क्षेत्रफल का 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल 1076.02 वर्ग मीटर के निम्नलिखित भूखण्ड जमीन में खनन में रहे गये हैं :-

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)
1.	7	167.62
2.	23	83.20
3.	24	83.20
4.	74	136.50
5.	75	170.05
6.	76	115.00
7.	77	144.60
8.	78	175.85
	कुल क्षेत्रफल	1076.02 वर्ग मी.

योजना की जांच करके यह पता चला है कि योजना में परिवर्तन प्रणीत की गयी है।

(अभिप्रेत) जमीन अधिनियम 2010 के अनुसार जमीन का नू-उपयोग (आवसीय) है।

योजना की भूमि का उपयोग जमीन अधिनियम 2010 के अनुसार किया गया है।

(अभिप्रेत) जमीन अधिनियम 2010 के अनुसार जमीन का नू-उपयोग (आवसीय) है।

योजना की सीमा का ताल्लुक जमीन अधिनियम 2010 के अनुसार किया गया है।

(अभिप्रेत) जमीन अधिनियम 2010 के अनुसार जमीन का नू-उपयोग (आवसीय) है।

योजना की भूमि का उपयोग जमीन अधिनियम 2010 के अनुसार किया गया है।

(अभिप्रेत) जमीन अधिनियम 2010 के अनुसार जमीन का नू-उपयोग (आवसीय) है।